-1-

268

C-FPS 201

# समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

**पुनरीक्षण याचिका क्र. 1626-III/2009**

निगरानी - 1626-II/09

... एडवोकेट
द्वारा आज दि. 26-11-09 को प्रस्तुत।

26/11/09
अवर सचिव/ASO
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

**पुनरीक्षणकर्तागण** : 1. गोपाल पिता हीरामन बर्मन,

2. ओमप्रकाश पिता हीरामन बर्मन

3. मुसा. गंगीबाई बेवा हीरामन बर्मन

सभी निवासी– ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी जिला कटनी (म.प्र.)

**विरूद्ध**

**उत्तरवादी** : ताजिन्दर सिंह पिता संतासिंह दुआ निवासी– नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

**निगरानी/पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता**

न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 409/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2009 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

26/11/09

**प्रकरण के तथ्य**

1. यह कि, उत्तरवादी द्वारा एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार कटनी के यहां इस आशय का पेश किया गया कि उसके द्वारा ग्राम पुरैनी में स्थित भूमि ख.नं. 164, रकवा 1.056 हे. भूमि पुनरीक्षणकर्ता के पिता स्व. हीरामन बर्मन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2 .09.1987 के द्वारा तय की गई है अतः उक्त भूमि पर नाम दर्ज किया जावे ।

2. यह कि, अधीनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण का परीक्षण

**XXXIX(a)BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1626–दो/09 जिला – कटनी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25.1.17 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 409/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 3–9–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, कटनी के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उसके द्वारा ग्राम पुरैना स्थित प्रश्नाधीनभूमि खसरा नं. 164 रकबा 1.056 हैक्टर को आवेदकों के पिता से रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 25–9–87 द्वारा कय किया गया था । अतः उसका नाम दर्ज किया जाये । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन आदेश दिनांक 29–9–01 द्वारा इस आवेदन निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 17–3–05 द्वारा निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरणं विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा वर्ष 1987 में भूमि का कय किया गया है जबकि नामांतरण हेतु आवेदन वर्ष 2001 में अर्थात 14 वर्ष उपरांत दिया गया है जो संदेह पैदा करता है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1985 आर0एन0 169 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस प्रकरण में अंतरण कर्ता के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस कारण नामांतरण करना संभव नहीं है ।<br><br>आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदकों के पिता को वर्ष 1966 में शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण प्रदाय किया गया था। शासन से प्राप्त भूमि का विकय कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में भूमि का विकय बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के किया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि का जो विकयपत्र है वह शून्यवत है इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय 2002 आर0एन0 250 का हवाला दिया गया है ।<br><br>4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 165(7) के प्रावधान इस प्रकरण में नहीं लागू होते हैं क्योंकि अंतरण कर्ता द्वारा भूमि का विकय पट्टा प्राप्ति के 10 वर्ष उपरांत किया गया है और उन्हें अंतरण के पूर्व भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया गया है प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है ।<br><br>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं | |

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1626–दो/09 जिला – कटनी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । विचारण न्यायालय में आलोच्य भूमि आवेदकों के पूर्वज हीरामन बर्मन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते उन्हें वर्ष 1966 में मिली और उसका विकय वर्ष 1987 में किया गया है । प्रकरण में जो साक्ष्य आई है उसमें एक ओर विक्रेता का पुत्र अपने पिता के हस्ताक्षर को स्वीकार करता है और दूसरी ओर उसे चुनौती देता है इस प्रकार उसके कथन विरोधाभाषी हैं । इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त ने प्रकरण को प्रत्यावर्तन का जो आदेश दया है वह अपने स्थान पर उचित और न्यायिक तथा समतामय है और उक्त आदेश पुष्टि योग्य है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।<br><br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रत्यावर्तन आदेश स्थिर रखा जाता है ।<br><br>सदस्य | |